राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
(राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग)
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर
फोनः–2740219, 2740252, 2740292(फैक्स) email: pd.rghs@rajasthan.gov.in
website: www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– F-1(258)RGHS/SAB LETTERS/2022-23 3492 दिनांकः– 23-11-22

समस्त प्राधिकृत अधिकारी
स्वायत्तशासी संस्थान, राजस्थान सरकार।

विषयः–स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है परन्तु समस्त कार्मिकों एवं पेंशनर्स का अनुदान एकरूपता (समस्त कार्मिकों का अंशदान एकसमय में एकमुश्त) से नही भिजवाया जा रहा है। स्वायत्तशासी संस्थाओं को निम्नांकित प्रक्रिया के आधार पर योजना का लाभ दिया जा सकेगा–

1. वित्त (बीमा) विभाग के पत्रांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–2 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में स्वायत्तशासी संस्थाओं के लाभार्थियों का कैशलेस आईपीडी/ओपीडी/डे–केयर की सुविधा बाबत् वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अंशदान निम्नानुसार 2 पैकेज एवं इनमें से एक का चयन करने की सुविधा देय है–

क्र.स.	लाभार्थी	पैकेज–1		पैकेज–2	
		अंशदान	देय लाभ	अंशदान	देय लाभ
1.	स्वायत्तशासी संस्थान कार्मिक (सेवारत)	6710/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा आईपीडी तथा 20 हजार ओपीडी	10500/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार आईपीडी तथा 20 हजार तक ओपीडी तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता ओपीडी की सीमा में वृद्धि का प्रावधान
2.	स्वायत्तशासी संस्थान कार्मिक (पेंशनर्स)	67100/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा आईपीडी तथा 20 हजार ओपीडी	105000/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार आईपीडी तथा 20 हजार तक ओपीडी तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता ओपीडी की सीमा में वृद्धि का प्रावधान

अतः स्वायत्तशासी संस्थान वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु समस्त कार्मिकों हेतु उक्तानुसार केवल एक पैकेज का चयन कर अंशदान ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवाकर चालान की प्रति मय कार्मिक सूची इस कार्यालय का भिजवायें। संस्थान द्वारा एक बार पैकेज का चुनाव करने के पश्चात् संस्थान को प्रदान आरजीएचएस सुविधा अवधि (**प्रीमियम जमा दिनांक से एक वर्ष की अवधि**) के मध्य में दूसरे पैकेज का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

2. वित्त (बीमा) विभाग के पत्रांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–2 दिनांक 10.11.2022 के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों (सेवारत एवं सेवानिवृत्त) को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ निम्नानुसार प्रदान किया जावेगा–

- ऐसे संस्थान जिनके द्वारा समूह में एक साथ प्रीमियम जमा न करवाकर एक–एक कार्मिक का आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक प्रीमियम जमा करवाया जा रहा है, ऐसे लाभार्थियों को योजना का परिलाभ प्रीमियम जमा करवाने की तिथि से 3 माह पश्चात् ही प्रारंभ किया जावेगा।
- ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक पेंशनर्स/कार्मिकों हेतु अंशदान जमा करवाते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है, उनको ही योजना का परिलाभ प्रीमियम जमा दिनांक से एक वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा (पेंशनर्स को प्रीमियम जमा दिनांक से आजीवन योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा) एवं कार्मिकों हेतु दूसरी बार में अंशदान जमा करवाने पर संबंधित संस्थान को पूर्व में जारी आरजीएचएस अवधि की सीमा में ही लाभ उपलब्ध करवाया जावेगा। यदि कोई संस्थान 50 प्रतिशत से कम लाभार्थियों के प्रस्ताव मय अंशदान प्रेषित करता है तो ऐसी स्थिति में अंशदान प्राप्ति के 3 माह पश्चात् कार्ड एक्टिवेट किये जावेंगे।

(**नोटः**– स्वायत्तशासी संस्थान उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए संस्थान में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या से भी अवगत करवायें, ताकि संस्थान के कार्मिकों को नियमानुसार आरजीएचएस सुविधा का लाभ अविलम्ब उपलब्ध करवाया जा सके)

अतः समस्त स्वायत्तशासी संस्थान उक्त बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि, जयपुर